कंपनी शासन अनुलग्नक॥

## **CORPORATE GOVERNANCE**

#### **Annexure II**

#### कंपनी शासन पर ईसीजीसी का दर्शन

कंपनी सम्प्रेषण में पारदर्शिता एवं ईमानदारी तथा सभी हितधारकों के लिए पूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए संगत तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं कंपनी शासन की श्रेष्ठ पद्धतियों के पालन को सुनिश्चित करने हेत् कंपनी प्रयासरत और प्रतिबद्ध है।

कंपनी स्वयं को अपने हितधारकों का ट्रस्टी मानती है तथा हितधारकों की संपत्ति के सृजन, उसकी सुरक्षा तथा हितों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करती है।समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम कंपनी नीतियों, विशिष्ट कारोबार योजनाओं, हामीदारी पॉलिसी/ प्रक्रियाओं, विवेकशील जोखिम प्रबंधन पॉलिसियों/ प्रथाओं तथा लेखा पॉलिसियों को बनाते एवं कार्यान्वित करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रही है। सभी पॉलिसियाँ/ प्रक्रियाएं वैधानिक व नीतिगत दायित्वों का पालन करते हुए बनाई गयी हैं।

#### निदेशक मण्डल

निदेशक मंडल रणनीतियांएवंनीतियां का निर्माण करता है तथा सावधिक रूप से कम्पनी के निष्पादन की समीक्षा करता है।कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 63 के साथ पढ़े जाने वाले अनुछेद 57 द्वारा नियंत्रित होता है। अनुच्छेद 57 एवं 63 यह प्रावधान करता है कि निदेशक मण्डल में एक अध्यक्ष एवं एक प्रबंध निद-`शक अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक(जहां अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक का पद एक ही व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता हो और वहाँ वही व्यक्ति हो ), एक कार्यपालक निदेशक/कार्यपालक निदेशक(पॉलिसी मामले)/ कार्यपालक निदेशक (परिचालन)/ वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक तथा कम से कम तीन एवं अधिकतम 13 अन्य निदेशक हों जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, भारतीय साधारण बीमा निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय निर्यात सं-गठन महासंघ, निर्यात संवर्धन परिषद तथा निर्यात से जुड़े व्यक्ति शामिल होते हैं। सरकारी कम्पनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान तिथि तक, बोर्ड में तेरह में से पांच अंशकालिक निदेशकों के पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है।

निदेशक मंडल में कार्यपालक/कार्यकारी निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों का ईष्ट्रतम संयोजन है। स्वतंत्र निदेशक ( गैर कार्यपालक अंश-कालिक गैर सरकारी निदेशक यथा सा क्षे उ (डी पी ई) दिशानिर्देशों के अनुसार ) ने बोर्ड को यह दर्शाते हुए अपने प्रकटनों को प्रस्तुत किया है कि उन्होंने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के रूप नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता को वे पूरा करते हैं। बोर्ड द्वारा अनुमोदित कम्पनी की सम्बंधित पक्ष अंतरण(आरपीटी) नीति

# ECGC'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company ensures transparency and integrity in communication and makes complete, accurate and precise information available to all its stakeholders. The Company is committed to and is continuously striving to ensure compliance with international standards and best practices of Corporate Governance, as relevant to the Government of India-owned entities.

The Company considers itself as a Trustee of its stakeholders and acknowledges its responsibility towards them, for creation and safeguarding the stakeholders' wealth and interests. During the financial year under review, the Company continued its pursuit of achieving its objectives through formulation and execution of corporate strategies, specific business plans, underwriting policies/procedures, prudent risk management policies/practices and accounting policies. All policies/procedures are framed conforming to legal and ethical responsibilities.

#### **BOARD OF DIRECTORS**

The Board of Directors formulates strategies, policies and reviews the performance of the Company periodically. The composition of the Board of Directors of the Company is governed by Article 57 read with Article 63 of the Articles of Association (AOA) of the Company. Articles 57 and 63 of the AOA provide that the Board of Directors shall consist of a Chairman, a Managing Director or a Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person), an Executive Director/ Executive Director (Policy Matters)/ Executive Director (Operations)/ Senior-most Executive Director and not less than three and not more than thirteen other directors representing the Government of India, Reserve Bank of India, Export Import Bank of India, General Insurance Corporation of India, Public Sector Banks, Federation of Indian Export Organizations, Export Promotion Councils and Individuals connected with exports. The Company being a Government Company, the appointment of Directors is being done by the Government of India. As of date, nine of the thirteen positions of the Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies has already been initiated.

The Board of Directors has an optimum combination of Executive/ Functional Directors and Non-Executive Directors. The Independent Directors (Non-Executive Part-Time Non-Government Directors i.e. Non-Official Directors as per DPE Guidelines) have submitted their disclosure to the Board that they fulfil all the requirements so as to qualify for their appointment as an Independent Director under the provisions of the Companies Act, 2013.

यह सुनिश्चित करती है कि सामान्य तथा साधारण व्यापार सम्बंधी सभी सम्बन्धित पक्ष अंतरण लेखा परीक्षा समिति एवं/अथवा बोर्ड के ध्यानार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों तथा मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों (केएमपी) द्वारा किसी भी संविदा में, जिससे वह सम्बंधित हैं, अपने रुझान का प्रकटन आवश्यक है।

बोर्ड जोखिम प्रबंधन योजना का सावधिक पुनरीक्षा करता है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु उपचारात्मक कार्यवाही करता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशक मंडल में शामिल निदेशकों की योग्यता सहित नाम, नियुक्ति की तारीख तथा श्रेणीयाँ जिनके आधार पर उन्हें नियुक्त किया किया गया है, का विवरण **सारणी 1** के अंतर्गत निम्नलिखत है:

The Board approved Related Party Transactions (RPT) Policy of the Company ensures that all related party transactions in the normal and ordinary course of business are brought to the notice/approval of the Audit Committee and/or Board. The Board Members as well as Key Managerial Personnel (KMP) are required to declare their interest in all the contracts in which they are interested.

The Board periodically reviews and takes remedial action to implement the risk management plan.

The name of Directors on the Board during the Financial Year 2020-21 along with their qualification, dates of appointment and categories under which they were appointed, are furnished in **Table 1** below:

सारणी 1 / Table 1

		1		HITOILI / TABLE I
क्र स Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	योग्यता Qualification	निदेशक मण्डल में नियुक्ति की तिथि Date of Appointment on Board	श्रेणी Category
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन, अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड Shri M. Senthilnathan Chairman-cum-Managing Director, ECGC Limited	बी एससी, एम बी ए B.Sc., MBA	30/12/2015 29/04/2020 से प्रभावी अप्रनि 30/12/2015 CMD w.e.f. 29/04/2020	कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) Functional Director (Whole-Time Director)
2	श्री के. राजारमन, भा प्र से Shri K. Rajaraman, IAS	बी टेक., एम बी ए (वित्त प्रबंधन)। एम ए (अर्थशास्त्र) B.Tech., M.B.A (Fin Mgt.), M.A (Economics)	08-08-2018	गैर कार्यकारी अंशकालिक, सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GOI)
3	श्री अमिताभ कुमार, भा.रा.से. Shri Amitabh Kumar, IRS	एम बी ए, एल एल बी MBA, LL.B	20/11/2020	गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Commerce & Industry, GOI)
*4	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू , कार्यपालक निदेशक, आर बी आई Shri Shirish Chandra Murmu, Executive Director, RBI	एम एस सी, सी ए आई आई बी M.Sc., CAIIB	10/01/2020	गैर-कार्यपालक अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non- Government Director
*5	श्री देवेश श्रीवास्तव, अ.प्र.नि., जी.आई.सी. Shri Devesh Srivastava, Chairman, GIC	एम एस सी (भौतिकी), पी जी डी बी एम M.Sc.(Physics), PGDBM	21/01/2020	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part-Time Non- Government Director
6	श्री सुनील जोशी कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ईसीजीसी लिमिटेड Shri Sunil Joshi, Executive Director (Policy Matters), ECGC Limited	एम एस सी (भौतिकी) M.Sc. (Physics)	09/07/2020	कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) Functional Director (Whole-Time Director)

# ई सी जी सी लिमिटेड

क्र स Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors श्री शरद कुमार सराफ़ अध्यक्ष,एफ.आई.ई.ओ Shri Sharad Kumar	योग्यता Qualification आई आई टी मुंबई से इलेक्ट्रौनिक इंजीनियर Electronics Engineering from IIT	निदेशक मण्डल में नियुक्ति की तिथि Date of Appointment on Board 22/07/2019 (दि.28/06/2021 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	श्रेणी Category  पदेन , गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive
	Saraf, President, FIEO	Bombay	22/07/2019 (Ceased to be a Director w.e.f. 28/06/2021)	Part-Time Non-Government Director
*8	श्री डेविड पॉल रस्किना, प्रनि, एक्जिम बैंक Shri David Paul Rasquinha, MD, Exim Bank	बीजिनेस मेनेजमेंट में स्नातकोत्तर Post Graduate in Business Management	22/07/2019 (दि.31/05/2021 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 22/07/2019 (Ceased to be a Director w.e.f. 31/05/2021)	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर- सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part-Time Non-Government Director
9	श्री बिद्युत बेहारी स्वेन, भा.प्र.से. Shri Bidyut Behari Swain, IAS	जवाहरलाल नेहरु विश्व विद्यालय से कला परास्नातक(राजनीति शास्त्र) तथा इंस्ट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से लोक नीति तथा प्रबंधन Master's Degrees in Arts (Political Studies) from Jawaharlal Nehru University and in Public Policy & Management from the Institute of Social Studies	20/04/2018 (दि.04/11/2020 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 20/04/2018 (Ceased to be a Director w.e.f. 04/11/2020)	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) Non- Executive Part- Time Government Director (Ministry of Commerce & Industry, GOI)
*10	श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष एस बी आई Shri Rajnish Kumar, Chairman, SBI	एम एस सी (भौतिकी) M.Sc. (Physics)	29/05/2019 (दि.06/10/2020 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 29/05/2019 (Ceased to be a Director w.e.f. 06/10/2020)	Non-Executive Part-Time Non-Government Director
11	श्रीमती पद्मावती आर. कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ईसीजीसी लिमिटेड Smt. Padmavathy R., Executive Director (Policy Matters), ECGC Limited	बी कॉम, सी आई आई आई बी (भाग-I) B. Com., CAIIB (Part I)	09/06/2020 (दि.30/06/2020 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 09/06/2020 (Ceased to be a Director w.e.f. 30/06/2020)	कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) Functional Director (Whole- Time Director)

<sup>\*</sup> गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक

#### नए निदेशक का संक्षिप्त परिचय:-

#### 1. श्री अमिताभ कुमार -

श्री अमिताभ कुमार 1992 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (सी एंड आईटी) अधिकारी हैं। अक्टूबर, 2020 से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अपनी नियुक्ति से पहले, उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कई पदों पर कार्य किया है जहाँ वे अप्रत्यक्ष कर नीति और योजना के निर्माण से जुड़े थे। उन्होंने जीएसटी परिषद सचिवालय, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के रूप में काम किया। वह वर्तमान में वाणिज्य विभाग में विदेश व्यापार (दक्षिण-एशिया, सार्क, ईरान) और एसईजेड/ईओयू देख रहे हैं।

श्री कुमार ने ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (एजीएसई),

#### **BRIEF DESCRIPTION OF NEW DIRECTOR:-**

#### 1. Shri Amitabh Kumar-

Shri Amitabh Kumar is an Indian Revenue Service (C&IT) officer of 1992 batch. Prior to his appointment in the Ministry of Commerce and Industry since October, 2020, he has held several positions in the Ministry of Finance, Government of India where he was associated with formulation of Indirect tax policy and planning. He worked as a Joint Secretary in the GST Council Secretariat, New Delhi. He is presently looking after the Foreign Trade (South-Asia, SAARC, Iran) and SEZ/EOUs in the Department of Commerce.

Shri Kumar holds the degree of Master of Business Administration (MBA) from the Australian Graduate

<sup>\*</sup> Non-Official (Independent) Directors

स्वाइनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफटेक्नोलॉजी, मेलबर्न से मास्टर ऑफ बिजनेस एडिमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) एवं एल.एल.बी. की डिग्री हासिल की है। वह सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली के पूर्व छात्र हैं।

वे 20 नवंबर, 2020 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुए।

## निदेशकों हेतु परिचायक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

नए निदेशक के आगमन पर, नए निदेशक को स्वागत पत्र के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम व भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास ( आई आर डी ए आई) प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों सहित अन्य लागू नियम / विनियमों के अधीन निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले अनुपलनों की सूची के तथा उनके द्वारा निर्वाह किए जाने वाले कर्तव्यों तथा दायित्वों के विवरण सौंपे जाते हैं।

निदेशक से सभी संगत प्रकटन प्राप्त किए जाते हैं तथा कंपनी का प्रबंधन, नए निदेशक को कंपनी के संबंध में उनकी भूमिका तथा दायित्वों, कंपनी शासन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं तथा अन्य संगत जानकारी के साथ साथ कंपनी के परिचालनों, आवश्यक नीतियों तथा कंपनी के विभिन्न सेक्टरों / विभागों की जानकारी दी जाती है। निदेशकों को विभिन्न प्रचलित संस्थानों / भारत सरकार, जैसे लोक उद्यम विभाग आदि द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न बोर्ड संबंधी प्रथाओं संबंधी कार्यक्रमों तथा उन्मुखीकरण कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए नामित तथा प्रायोजित किया जाता है।

सभी निदेशकों को नियमित रूप से कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा कम्पनी पर लागू अन्य नियमों तथा प्रावधानों आदि से कम्पनी की आंतरिक प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत बोर्ड/ समिति की बैठ्कों के दौरान अवगत कराया जाता हैं

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न संस्थानों द्वारा समय– समय पर आयोजित कार्यक्रमों की तिथियों पर निदेशकों की पूर्व–व्यस्तता/व्यस्त कार्यक्रम के कारण कम्पनी आज की तारीख तक निम्न्लिखत को छोड़कर सभी निदेशकों को प्रशिक्षण नहीं उपलब्ध करा पाई है जो निम्नलिखत हैं:

क्र. सं	पद	निदेशकों के नाम	प्राप्त किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकरी (विषय एवं दिनांक)
1.	गैर– आधिकारिक (स्वतंत्र निदेशक)	श्री देवेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जी आई सी ऑफ इंडिया	आईआरडीएआई द्वारा राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे में 19 से 21 अगस्त, 2020 तक बीमा कंपनियों के स्वतंत्र निदेशकों के लिए उन्म ुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
2	पूर्ण–कालिक निदेशक	श्री सुनील जोशी, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ईसीजीसी लिमिटेड	एनएएचआरडी द्वारा निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और केएमपी के लिए बोर्ड गवर्नेंस पर दिनांक 05 अगस्त, 2020 को आयोजित ऑनलाइन कार्यशाला

School of Entrepreneurship (AGSE), Swinburne University of Technology, Melbourne and L.L.B. from Delhi University. He is an alumnus of St. Stephen's College, Delhi.

He joined as a Director on the Board of the Company on November 20, 2020.

# DETAILS OF FAMILIARISATION & TRAINING PROGRAMMES FOR DIRECTORS

At the time of induction of a new Director, a welcome letter is addressed to the new Director along with details of duties and responsibilities required to be performed as a Director in addition to the compliances required from him/her under the Companies Act, 2013 and other applicable statutes/rules/regulations including applicable guidelines of the Department of Public Enterprises (DPE) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI). Relevant Disclosures are taken from the Director. The Management of the Company familiarises the new Director about the Company, its operations, important policies and processes followed by various Sectors/Departments of the Company, their roles and responsibilities, the governance and internal control processes and other relevant important information concerning the Company. The Directors are also regularly encouraged and sponsored for attending important training programmes relating to Board-related practices and orientation programmes etc. conducted by various institutes or organisations of repute like the National Insurance Academy, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Standing Conference of Public Enterprises, Indian Institute of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises etc.

All the Directors are regularly updated on the various provisions related to corporate governance and other applicable rules and regulations of the Company during the Board/Committee meetings as per the internal training policy for the Directors of the Company.

Due to pre-occupation/busy schedule of the Directors on the dates of training organised by various Institutions from time-to-time, the Company could not impart training to all the Directors till date except to the following Directors during FY 2020-21 as follows:-

Sr. No.	DESIGNA- TION	NAME OF THE DIRECTORS	DETAILS OF TRAINING IMPARTED (SUBJECT AND DATE)
1.	Non-Official (Inde- pendent Director)	Shri Devesh Srivastava, Chair- man-cum-Man- aging Director, GIC of India	Orientation Programme for Independent Directors of Insurance Companies conducted by IRDAI at National Insurance Acad- emy, Pune from 19 to 21 August, 2020.
2	Whole-Time Director	Shri Sunil Joshi, Exec- utive Director (Policy Mat- ters), ECGC Limited	Online Workshop on Board Governance for Directors, Independent Directors and KMPs by NAHRD – August 05, 2020.

## वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के लिए निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मण्डल को वर्ष में कम से कम चार बार इस प्रकार बैठकों में भाग लेना आवश्यक है एवं दो बैठकों के मध्य 120 दिन से अधिक अथवा भारत सरकार द्वारा कोविड–19 के चलते प्रदान की गई छूट की अविध के अतिरिक्त का अंतराल न हों

कंपनी द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा जारी बोर्ड बैठक हेतु सचिवीय मानकों के अनुपालन में सभी निदेशकों को नोटिस, एजेंडा तथा विस्तृत प्रकृति का एजेंडा नोट भेजी जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 174 के अनुसार, कंपनी निदेशकों को वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो वीडियो की सुविधा प्रदान करती है तािक यदि वे चाहें तो बोर्ड की बैठकों में भाग ले सकें। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कुल पाँच बैठकें आयोजित की गयी। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण निम्नलिखित सारणी 2 में उल्लिखित है:-

# DETAILS OF THE MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR FY 2020-21

The Board of Directors is required to meet at least four times every year in such a manner that not more than 120 days or such extended period shall intervene between two consecutive meetings of the Board, pursuant to the provisions of Section 173 of the Companies Act, 2013 or the relaxations granted by the Government of India on account of the COVID-19 pandemic. The Company sends notices, agenda and notes to agenda which are exhaustive in nature to all the Directors in compliance with Secretarial Standards on Board Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India. Pursuant to Section 174 of the Companies Act, 2013, the Company provides video conferencing/ Other Audio-Visual Means (OAVM) facility to the Directors to enable them to participate in the Board/ Committee meetings if they desire. Five meetings were held during the FY 2020-21. Details of the meetings of the Board of Directors held during the FY 2020-21 are furnished below in Table 2:-

सारणी - 2 / Table 2:

क्रम संख्या Sr. No.	बैठक संख्या Meeting Number	बैठक की तारीख Date of the Meeting	बोर्ड संख्या Board Strength	उपस्थित निदेशकों की संख्या No. of Directors present
1.	426	15/05/2020	8	7
2.	427	21/08/2020	9	6
3.	428	23/09/2020	9	6
4.	429	24/11/2020	8	7
5.	430	04/02/2021	8	7

दिनांक 31 मार्च 2021 (सारणी 3) तक निदेशक मंडल अन्य की बोर्ड बैठक, वार्षिक साधारण बैठकों में उपस्थिति एवं उनके द्वारा धारित अन्य निदेशक के पदों के विवरण

DETAILS OF ATTENDANCE OF THE DIRECTORS AT THE BOARD MEETINGS, ANNUAL GENERAL MEETING AND THE NUMBER OF OTHER DIRECTORSHIPS HELD BY THEM AS OF MARCH 31, 2021 (Table 3)

सारणी - 3 / Table 3

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों का नाम Name of the Directors	बैठकों में उपस्थिती / उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की कुल सं No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure	दिनांक 24 नवंबर 2020 को आयोजित 62 वीं वा.सा.बै. में उपस्थिती Attendance at the 62nd AGM held on November 24, 2020	आयोजित निदेशकों की अन्य बैठकों की सं <sup>*</sup> No. of other Directorships held*
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	5/5	हाँ Yes	0
2	श्री के राजारमन Shri K. Rajaraman	2/5	नही No	1
3	श्री अमिताभ कुमार Shri Amitabh Kumar	2/2	नही No	1
4	श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू Shri Shirish Chandra Murmu	3/5	नही No	0
5	श्री डेविड पॉल रस्कीना Shri David Paul Rasquinha	4/5	ਗ਼ੱ Yes	0
6	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	4/5	नही No	4

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों का नाम Name of the Directors	बैठकों में उपस्थिती / उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की कुल सं No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure	दिनांक 24 नवंबर 2020 को आयोजित 62 वीं वा.सा.बै. में उपस्थिती Attendance at the 62nd AGM held on November 24, 2020	आयोजित निदेशकों की अन्य बैठकों की सं <sup>*</sup> No. of other Directorships held *
7	श्री शरद कुमार सराफ़ Shri Sharad Kumar Saraf	5/5	नही No	4
8	श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	4/4	हाँ Yes	0
9	श्री बिद्युत बेहारी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	2/3	नही NA	0
10	श्री रजनीश कुमार Shri Rajnish Kumar	2/3	नही NA	3
11	श्रीमती पद्मावती आर. Smt. Padmavathy R.	0/0	नही NA	0

<sup>\*</sup>कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन नियुक्त निदेशकों में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन निजी कंपनियों, विदेशी कंपनी एवं सामान्य कंपनियों के निदेशक शामिल नही हैं।

#### लेखा-परीक्षा समिति- गठन एवं उपस्थिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया हैं। कंपनी की लेखा-परीक्षा समिति का वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 20-11-2020 को पुनर्गठन किया गया। दिनांक 31-03-2021, तक लेखा परीक्षा समिति में छः गैर कार्यपालक निदेशक शामिल थे। श्री डेविड पॉल रिक्तना को दिनांक 15-05-2020 को लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया वे 31 मई 2021 से कंपनी में अपने निदेशक पद की समाप्ति पर समिति के अध्यक्ष और सदस्य नहीं रहे। निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किए जाने तक लेखा परीक्षा समिति अपनी बैठक के दौरान अध्यक्ष का चयन करेगी। सुश्री स्मिता वी. पंडित, कम्पनी की कम्पनी सचिव, लेखा परीक्षा समिति की सचिव हैं।

लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य कंपनी के कुल लेखा परीक्षा कार्यों, जैसे कंपनी के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षा का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण तथा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक/ बाहरी लेखा परीक्षकों तथा भारत के सीएंडएजी द्वारा उठाए गए मदों पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही आदि की देखरेख है। लेखा परीक्षा समिति द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित भूमिका पूर्ण रूप से अदा की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की दि15/05/2020, 21/08/2020, 22/09/2020, 23/11/2020 व 03/02/2021 को पाँच बैठकें संपन्न हुई लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिती के विवरण निम्नानुसार सारणी 4 में दर्शाये गए हैं:

# AUDIT COMMITTEE-COMPOSITION AND ATTENDANCE

The constitution of the Audit Committee meets with the requirements of Section 177 of the Companies Act, 2013. The Audit Committee of the Company has been re-constituted on 20/11/2020 during the FY 2020-21. As of 31/03/2021, the Audit Committee of the Company comprises of six Non-Executive Directors. Shri David Paul Rasquinha was appointed as the Chairman of the Audit Committee w.e.f. May 15, 2020. He ceased to be the Chairman and Member of the Committee on cessation of his Directorship in the Company w.e.f. May 31, 2021. The Audit Committee shall elect the Chairman during the meeting of the Committee until a Chairman is appointed by the Board of Directors. Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary of the Audit Committee.

The objective of the Audit Committee is to oversee and provide direction to the total audit functions of the Company i.e. total audit functions shall imply supervision of internal audit and inspection within the Company and follow up action taken on points raised by the statutory/ external auditors of the Company and C&AG of India. The Board approved Terms of Reference of the Audit Committee covers all matters specified under Section 177 of the Companies Act, 2013.

The Audit Committee met five times, on 15/05/2020, 21/08/2020, 22/09/2020, 23/11/2020 and 03/02/2021 during the FY 2020-21. The details of the attendance of the Members at the Audit Committee meetings are furnished below in **Table 4**:

<sup>\*</sup>Directorship in companies registered under the Companies Act, 2013, excluding directorships in private companies, foreign companies and companies under Section 8 of the Companies Act, 2013.

सारणी -4 / Table 4

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as Member	बैठकों में उपस्थिती की संख्या / निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/ her tenure
1.	श्री के. राजारमन Shri K. Rajaraman	08/08/2018	3/5
2.	श्री अमिताभ कुमार Shri Amitabh Kumar	20/11/2020	1/2
3.	श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020	4/5
4.	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	21/01/2020	3/5
5.	श्री शरद कुमार सराफ़ Shri Sharad Kumar Saraf	22/07/2019 (28/06/2021 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 22/07/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 28/06/2021)	3/5
6.	श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019 (31/05/2021 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 07/08/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/05/2021)	5/5
7.	श्री बिद्युत बेहारी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018 (04/11/2020 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 20/04/2018 (Ceased to be a Member w.e.f. 04/11/2020)	2/3

#### निवेश समिति - संगठन और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी की निवेश समिति का पुनर्गठन 09/06/2020, 09/07/2020 एवं 20/11/2020 को किया गया।वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निवेश समिति की बैठकों का आयोजन 15/05/2020, 21/08/2020, 23/09/2020, 24/11/2020 एवं 04/02/2021को कुल पांच बार किया गया निवेश समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिती के विवरण निम्नलिखित सारणी 5 में दर्शाया गया है

# INVESTMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Investment Committee of the Company was reconstituted on 09/06/2020, 09/07/2020 and 20/11/2020 during the FY 2020-21. The Investment Committee met five times on 15/05/2020, 21/08/2020, 23/09/2020, 24/11/2020 and 04/02/2021 during the FY 2020-21. The details of the attendance of the Members of the Investment Committee Meetings are furnished below in **Table 5**:

सारणी -5 / Table 5

क्र. सं. Sr. No.	निदेशक / सदस्य का नाम Name of the Directors / Members	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as a Member	बैठ्कों में उपस्थिति की संख्या / उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठ्कों की कुल संख्या No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	11/02/2016	5/5
2.	श्री के. राजारमन Shri K. Rajaraman	08/08/2018	3/5
3.	श्री अमिताभ कुमार Shri Amitabh Kumar	20/11/2020	2/2
4.	श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020	3/5

क्र. सं. Sr. No.	निदेशक / सदस्य का नाम Name of the Directors / Members	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as a Member	बैठकों में उपस्थिति की संख्या / उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठ्कों की कुल संख्या No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
5.	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	21/01/2020	4/5
6	श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	09/07/2020	4/4
7	श्री निर्दोष चोपड़ा Shri Nirdosh Chopra	02/05/2019 से सी आर ओ, 21/05/2020 से सी आर ओ एवं सी एफ ओ As CRO* w.e.f. 02/05/2019, as CRO* and CFO* w.e.f. 21/05/2020	4/5
8	श्रीमती प्रिसीला सिन्हा Smt. Priscilla Sinha	27/01/2020 से नियुक्त बीमांकक As Appointed Actuary w.e.f. 27/01/2020	4/5
9	श्रीमती अर्पिता सेन Smt. Arpita Sen	26/11/2019 से सी आई ओ As CIO* w.e.f. 26/11/2019	5/5
10	श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019 (31/05/2021 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 07/08/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/05/2021)	4/5
11	श्री बिद्युत बेहारी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018 (04/11/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 20/04/2018 (Ceased to be a Member w.e.f. 04/11/2020)	2/3
12	श्रीमती पद्मावती आर. Smt. Padmavathy R.	09/06/2020 (30/06/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 09/06/2020 (Ceased to be a Member w.e.f. 30/06/2020)	0/0
13	श्री ईशनाथ झा Shri Ishnath Jha	08/05/2019 (21/05/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 08/05/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 21/05/2020)	1/1

\*सी आर ओ – मुख्य जोखिम अधिकारी, सी एफ ओ – मुख्य वित्त अधिकारी, सी आई ओ– मुख्य निवेश अधिकारी, ए ए – नियुक्त बीमांकिक

## पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति - संरचना और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी की पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति का पुनर्गठन,09/06/2020, 09/07/2020 और 20/11/2020 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिनांक 15/05/2020, 21/08/2020, 23/09/2020, 24/11/2020 एवं03/02/2021 को पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति की पांच बैठकें सम्पन्न हुई। पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षासमिति के सदस्यों कीबैठकों के दौरान उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नलिखित सारणी 6 में दर्शाया गया है:

\*CRO – Chief Risk Officer, CFO – Chief Financial Officer, CIO – Chief Investment Officer, AA – Appointed Actuary

# POLICYHOLDERS' INTERESTS PROTECTION COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Policyholders' Interests Protection Committee of the Company was re-constituted on 09/06/2020, 09/07/2020 and 20/11/2020 during the FY 2020-21. The Policyholders' Interests Protection Committee met five times, on 15/05/2020, 21/08/2020, 23/09/2020, 24/11/2020 and 03/02/2021 during the FY 2020-21. The details of the attendance of the Members at the Policyholders' Interests Protection Committee Meetings are furnished below in **Table 6**:

सारणी -6 / Table 6

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों का नाम Name of the Directors	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as a Member	बैठकों में उपस्थिति की संख्या / उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	13/04/2016	5/5
2.	श्री अमिताभ कुमार Shri Amitabh Kumar	20/11/2020	1/2
3.	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020	3/5
4.	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	21/01/2020	4/5
5.	श्री शरद कुमार सराफ़ Shri Sharad Kumar Saraf	22/07/2019 (28/06/2021 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 22/07/2019 (Ceased to be member w.e.f. 28/06/2021)	3/5
6.	श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	09/07/2020	4/4
7.	श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019 ( 31/05/2021 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 07/08/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/05/2021)	5/5
8.	श्री बिद्युत बेहारी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018 (04/11/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 20/04/2018 (Ceased to be a Member w.e.f. 04/11/2020)	2/3
9.	श्रीमती पद्मावती आर. Smt. Padmavathy R.	09/06/2020 (30/06/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 09/06/2020 (Ceased to be a Member w.e.f. 30/06/2020)	0/0

#### जोरितम प्रबंधन समिति- संरचना और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन, दि. 09/06/2020, 09/07/2020 व20/11/2020 को किया गया। वित्तीय वर्ष 20120–21 में जोखिम प्रबंधन समिति की पाँच बैठकें 15/05/2020, 21/08/2020, 23/09/2020, 24/11/2020 व04/02/2021 को हुई। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति संबंधी विवरण सारणी 7 में दर्शाया गया है:

# RISK MANAGEMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Risk Management Committee of the Company was re-constituted on 09/06/2020, 09/07/2020 and 20/11/2020 during the FY 2020-21. The Risk Management Committee met five times, on 15/05/2020, 21/08/2020, 23/09/2020, 24/11/2020 and 04/02/2021 during the FY 2020-21. The details of the attendance of the Members at Risk Management Committee Meetings are furnished below in Table 7:

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों का नाम Name of the Directors	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as a Member	बैठ्कों में उपस्थिति की संख्या / उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	13/04/2016	5/5
2.	श्री के. राजारमन Shri K. Rajaraman	08/08/2018	3/5

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों का नाम Name of the Directors	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as a Member	बैठकों में उपस्थिति की संख्या / उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
3.	श्री अमिताभ कुमार Shri Amitabh Kumar	20/11/2020	2/2
4.	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020	3/5
5.	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	21/01/2020	4/5
6.	श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	09/07/2020	4/4
7.	श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019 (31/05/2021 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 07/08/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/05/2021)	5/5
8.	श्री बिद्युत बेहारी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018 (04/11/2020 सें सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 20/04/2018 (Ceased to be a Member w.e.f. 04/11/2020)	2/3
9.	श्रीमती पद्मावती आर. Smt. Padmavathy R.	09/06/2020 (30/06/2020 सें सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 09/06/2020 (Ceased to be a Member w.e.f. 30/06/2020)	0/0

#### नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

ईसीजीसी में, सरकारी संस्थान होने के कारण पूर्ण कालिक निदेशकों की नियुक्ति से सम्बंधित नियम व शर्तें (पारिश्रमिक सिहत) भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है यद्यपि, बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक सिमिति(एन.आर.सी.) का पुनर्गठन, दिनांक 09/06/2020, 09/07/2020 और20/11/2020 को किया गया। एन. आर. सी. की कोई भी बैठक वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित नहीं की गयी। एन.आर. सी. के सदस्यों का विवरण निम्नलिखित सारणी 8 में दर्शाया गया है:

#### सारणी 8

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	सदस्य के नियुक्ति की तारीख	
1.	श्री अमिताभ कुमार	20/11/2020	
2.	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू	10/01/2020	
3.	श्री देवेश श्रीवास्तव	21/01/2020	
4.	श्री शरद कुमार सराफ़ 22/07/2019 (28/06) सदस्य के रूप में कार्यकाल व		
5.	श्री सुनील जोशी	09/07/2020	
6.	श्री डेविड पॉल रस्किना	07/08/2019 (31/05/2021से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	

#### **NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:**

ECGC Limited being a Government Company, the appointment and the terms and conditions of appointment (including remuneration), of the Whole-Time Directors are decided by the Government of India. However, the Board has constituted a Nomination and Remuneration Committee (NRC) and it was re-constituted on 09/06/2020, 09/07/2020 and 20/11/2020 during the FY 2020-21. No meeting of the NRC was held during the FY 2020-21. The details of the Members of the NRC are furnished below in **Table 8.** 

सारणी 8/Table 8

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member	
1.	Shri Amitabh Kumar	20/11/2020	
2.	Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020	
3.	Shri Devesh Srivastava	21/01/2020	
4.	Shri Sharad Kumar Saraf	22/07/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 28/06/2021)	
5.	Shri Sunil Joshi	09/07/2020	
6.	Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/05/2021)	

7.	श्री बिद्युत बेहारी स्वेन	20/04/2018 (04/11/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)
8.	श्रीमती पद्मावती आर	09/06/2020 (30/06/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)
9.	श्री एम. सेंथिलनाथन	13/04/2016 (29/04/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)

ईसीजीसी 100% भारत सरकार (भा स) के स्वामित्व वाली कंपनी है। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की सिफ़ारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अ प्र नि सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। बोर्ड द्वारा इस प्रकार की सभी नियुक्तियों को रिकॉर्ड किया जाता है तथा आई आर डी ए आई को सूचित किए जाने सहित कं र के पास प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक फॉर्म भरे जाते हैं। पूर्णकालिक निदेशक की परिलब्धियों का निर्धारण भी फॉर्म द्वारा किया जाता है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा सरकार द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति (गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में ) की जाती है तथा वे किसी प्रकार की परिलब्धियों/उपस्थिती शुल्क के पात्र नहीं होंगे। गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति (स्वतंत्र निदेशक) भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा वे (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (ii) अध्यक्ष, एक्ज़िम बैंक (iii) भारत सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा भारतीय साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक की श्रेणी में होंगे तथा भारत सरकार की निर्देशों/सांविधिक नियमों तथा विनियमों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा निर्धारित बोर्ड/समितियों की बैठकों में उपस्थिती के लिए उपस्थिती शूल्क के पात्र होंगे (वर्तमान में कंपनी रु10,000/- रु. प्रति बोर्ड बैठक तथा रु5,000/- रु. प्रति समिति बैठक के हिसाब से अदायगी कर रही है)। कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को कोई कमीशन नहीं दिया है। कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ सिवाय इसके कि कंपनी द्वारा शांति सेवा निधि (एसएसएन) (ट्रस्ट) के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में डिप्लोमा के लिए सात छात्रों को प्रायोजित करने के लिए किए गए लेनदेन अतिरिक्त कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं था। कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधि, जिसे लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। ईसीजीसी लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं।

# निगम सामाजिक दायित्व (सी. एस.आर.) एवं धारणीय विकास(एस.डी) परियोजनाओं पर बोर्ड की समिति:

कंपनी द्वारा सी. एस. आर. और एस. डी. परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए सी.एस.आर. और एस.डी. हेतु एक समिति का गठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, दि. 09/06/2020, 09/07/2020 व 20/11/2020 को इस समिति का पुनर्गठन

		20/04/2018 (Ceased	
7.	Shri Bidyut Behari Swain	to be a Member w.e.f.	
		04/11/2020)	
		09/06/2020 (Ceased	
8.	Smt. Padmavathy R.	to be a Member w.e.f.	
		30/06/2020)	
		13/04/2016 (Ceased	
9.	Shri M. Senthilnathan	to be a Member w.e.f.	
		29/04/2020)	

ECGC is a 100% Government of India (GOI) owned Company. Appointment of all Directors including the Chairman-cum-Managing Director is done by the President of India as per recommendation of the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry in compliance with the Department of Public Enterprises guidelines. The Board takes on record all such appointments and necessary forms are filed with the ROC including informing IRDAI. Remuneration of the Whole Time Directors is fixed by the GOI.

The Government Nominee Directors are appointed (as Non-Executive Part-Time Government Directors) by the Ministry of Commerce & Industry and they are not entitled to any remuneration/sitting fees. The Non-Executive Part-Time Non-Government Directors (Independent Directors) are appointed by the GOI and they (excluding Directors appointed under the category of (i) Reserve Bank of India (ii) Chairman/ Managing Director of EXIM Bank (iii) Chairman/Managing Director of Nationalised banks to be nominated by the Government and (iv) Chairman/ Managing Director of General Insurance Corporation of India) are entitled to sitting fees for attending the Board/ Committee Meetings as prescribed by the Board in adherence with the Government directives/ statutory rules and regulations (presently the Company is paying ₹10,000 per Board Meeting and ₹5000 for each Committee Meeting per Member). The Company has not paid any commission to its Directors. The Company has not issued any stock options to its Directors. None of the Non-Executive Directors had any pecuniary relationship or transactions with the Company during the FY 2020-21 except the transaction made by the Company with Shanti Seva Nidhi(SSN) (Trust) for sponsoring seven students for Diploma in Mechanical Engineering course under the Corporate Social Responsibility (CSR) activity of the Company, which has been approved by the Board of Directors as recommended by the Audit Committee. The Pay Scales and allowances of Officers and Staff of ECGC Limited are approved by the GOI.

# COMMITTEE OF BOARD ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD):

A Committee on CSR & SD of the Company has been constituted for monitoring the Company's CSR & SD Projects/Activities. It was re-constituted on 09/06/2020, 09/07/2020 and 20/11/2020 during the FY 2020-21. Shri

किया गया। श्री एम. सेंथिलनाथन, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को 01/11/2019 से 28/04/2020 तक कंपनी के अप्रनि का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए दिनांक 29 अप्रैल, 2020 से कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त होने पर उन्हें समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सी एस आर व एस डी समिति की दिनांक 15/05/2020, 21/08/2020, 23/09/2020, 24/11/2020 तथा 03/02/2021 को पांच बार बैठकें आयोजित की गयी। सी एस आर व एस डी समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिती संबंधी विवरण सारणी 9 में दर्शाए गए हैं:

M. Senthilnathan, CMD was appointed as the Chairman of the Committee w.e.f. April 29, 2020 after holding the Chairmanship of the Committee while holding the Additional Charge of CMD of the Company from 01/11/2019 to 28/04/2020.

The Committee on CSR & SD met five times, on 15/05/2020, 21/08/2020, 23/09/2020, 24/11/2020 and 03/02/2021 during the FY 2020-21. The details of the attendance of the Members at the Meetings of the Committee on CSR & SD are furnished below in **Table 9**.

सारणी 9 / Table 9

	0	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
क्र. सं.	निदेशकों के नाम	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/उनके कार्यकाल के
Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as a Member	दौरान आयोजित बैठ्कों की कुल संख्या No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	13/04/2016	5/5
2.	श्री अमिताभ कुमार Shri Amitabh Kumar	20/11/2020	1/2
3.	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020	3/5
4.	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	21/01/2020	4/5
5.	श्री शरद कुमार सराफ Shri Sharad Kumar Saraf	22/07/2019 (28/06/2021 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 22/07/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 28/06/2021)	3/5
6.	श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	09/07/2020	4/4
7.	श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019 (31/05/2021 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 07/08/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/05/2021)	4/5
8.	श्री बिद्युत बेहारी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018 (04/11/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 20/04/2018 (Ceased to be a Member w.e.f. 04/11/2020)	2/3
9.	श्रीमती पद्मावती आर Smt. Padmavathy R.	09/06/2020 (30/06/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 09/06/2020 (Ceased to be a Member w.e.f. 30/06/2020)	0/0

### निदेशकों तथा बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन तथा स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कॉपॉरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05 जून 2015 के जिरये सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (पी) के प्रावधानों से छूट प्रदान की है। अधिसूचना के अनुसार निदेशक मण्डल तथा उसकी समितियों तथा स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन उन सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा जहां निदेशकों का मूल्यांकन शासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता हो। हमारे मामले में मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग (भास) के साथ किए गए स ज्ञा के जिरये वित्तीय तथा गैर वित्तीय लक्ष्यों के लिए प्रदान किए जाने वाले

# PERFORMANCE EVALUATION OF THE DIRECTORS, THE BOARD AND MEETING OF THE INDEPENDENT DIRECTORS

The requirement relating to performance evaluation of Board Members under Section 178(2) of the Companies Act, 2013 is exempted for Government Companies vide circular dated June 05, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA). The provisions of Section 134(3)(p) of the Act which requires mentioning the manner of formal evaluation of the Board, Committees and individual Directors, in the Board Report is also exempted for the Government Companies, if Directors

ई सी जी सी लिमिटेड

अंकों/मान के आधार पर किया जाता है। हमारी उत्पादकता आधारित एकमुश्त प्रोत्साहन (पी एल एल आई) हमारे संबन्धित मंत्रालय द्वारा किए गए इस प्रकार के मूल्यांकन में पाये गए अंकों / ग्रेड पर आधारित होती है। डीपीई द्वारा दिनांक 20 जून 2013 को जारी का.ज्ञा. द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक के दायरे से सभी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा वापस ले ली है। एमसीए के दिनांक 05 जुलाई, 2017 को जारी परिपत्र ने गैर-स्वतंत्र निदेशकों और सरकारी कंपनियों के अध्यक्षों के मूल्यांकन तंत्र को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्दिष्ट किया है।. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, दिनांक 23 नवंबर 2020 को बोर्ड द्वारा अपने कर्तव्यों के उचित एवं प्रभावपूर्ण तरीके से पालन हेतू स्वतंत्र निदेशकों की डीपीई दिशानिर्देशों (कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20 जून 2013) के अनुकरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी के प्रबंधन एवं बोर्ड के मध्य सूचना के प्रवाह की गूणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता के मुल्यांकन हेत् बैठक का आयोजन किया गया। कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच जो बोर्ड को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक है।

#### साधारण बैतकें

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित साधारण बैठकों के विवरण निम्नानुसार सारणी 10 में दर्शाये गए हैं :- are evaluated by the Administrative Ministry. In our case such evaluation is done through the annual Memorandum of Understanding (MOU) with the Department of Public Enterprises (DPE) with marks/ weightage for financial and non-financial targets. Our Productivity-Linked Lumpsum Incentive (PLLI) is based on marks/ grade obtained in such evaluation by the respective Ministry.

The DPE vide OM dated June 20, 2013 has withdrawn review of the performance of the Chairperson of the Company from the purview of separate meeting of Independent Directors. MCA vide circular dated July 05, 2017 has also exempted evaluation mechanism of Non-Independent Directors and Chairperson of Government Companies as specified in **Schedule IV** to the Companies Act, 2013.

During the FY 2020-21, the Independent Directors met on November 23, 2020 as per the requirement of DPE guidelines (Office Memorandum dated June 20, 2013), inter alia, to assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Company Management and the Board that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform its duties.

#### **GENERAL MEETINGS**

The details of the General Meetings held during the last three years are furnished below in **Table 10**:

सारणी 10 / Table 10

	TITO TO TABLE			10/ Table 11	
क्र. सं. Sr. No.	वित्तीय वर्ष Financial Year	वा सा बैठकों की सं No. of AGM	दिनांक व समय Date & Time	स्थान Venue	पारित विशेष संकल्पों की सं, यदि कोई हो तो No. of Special Resolutions passed, if any
1	2017-18	60	17 जुलाई, 2018 1400 बजे July 17, 2018 1400 Hrs	उद्योग भवन, नई दिल्ली Udyog Bhawan, New Delhi	कुछ नहीं NIL
2	2018-19	विशेष साधारण बैठक EGM	07 दिसंबर, 2018 1500 बजे December 07, 2018 1500 Hrs	उद्योग भवन, नई दिल्ली Udyog Bhawan, New Delhi	10
3	2018-19	61	26 अगस्त, 2019 1500 बजे August 26, 2019 1500 Hrs	उद्योग भवन, नई दिल्ली Udyog Bhawan, New Delhi	कुछ नहीं NIL
4	2019-20	62	24, नवंबर 2020 1500 बजे (वर्चुअल माध्यम से) November 24, 2020 1500 Hrs. (virtual mode)	पंजीकृत कार्यालय, मुंबई Registered Office, Mumbai	कुछ नहीं NIL

#### कारोबार आचार संहिता एवं नैतिकता

निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी के निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिकों के लिए कारोबार आचार संहिता एवं नैतिकता के मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें कंपनी के वेब साइट (www.ecgc.in) पर उल्लिखित किया गया है।

#### **CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS**

The Board of Directors has laid down a Code of Business Conduct and Ethics for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Company, which has been posted on the website of the Company (www.ecgc.in).

#### प्रकटन

कंपनी द्वारा कारोबार के सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त निदेशकों अथवा उसके प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों अथवा कंपनियों एवं फर्मों आदि के साथ किसी भी प्रकार का भौतिक वित्तीय अथवा वाणिज्यिक लेनदेन का संव्यवहार नहीं किया गया है, जिसमें उनका स्वयं का प्रत्यक्ष अथवा उनके रिशतेदारों के जरिये निदेशकों के रूप में तथा/ अथवा भागीदारों के रूप में किसी भी प्रकार का हित शामिल हो। शांति सेवा निधि (एसएसएन) (ट्रस्ट) के साथ किए गए एक 34.72 लाख रूपये का एक संव्यवहार जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में डिप्लोमा के लिए सात छात्रों को प्रायोजित करने के लिए निदेशक मंडल की अनुमित प्राप्त की गयी थी। 15 मई 2020 को निदेशक मण्डल द्वारा संबन्धित पार्टी संव्यवहार के अधीन नाम पद्धित "संबन्धित पार्टी संव्यवहार नीति" अपनाई गयी। कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक – 24 की आवश्यकताओं के प्रकटन के अनुसार संबन्धित पार्टी के समव्यवहारों के विवरणों को प्रकट किया गया एवं भारतीय कंपनियों को छूट प्रदान की गयी।

कंपनी की सी एस आर गतिविधि के अंश के रूप में सामान्य कारोबार में किए जाने वाले समव्यवहारों को छोड़ कर ऐसे किसी भी एकल फ़्फ़र्मों एवं संगठनों को किसी प्रकार की अदायगी नहीं की गयी है जिसमें कंपनी के निदेशकों का निजी हित निहित हो।

गतिविधि का नाम	फर्म का नाम	इच्छुक निदेशक
मेकैनिकल इंजीनिरिंग	शांति सेवा निधि	श्री शरद कुमार सराफ़
में डिप्लोमा के लिए सात	ट्रस्ट (एस एस	
छात्रों को प्रायोजित करना	एन) (ट्रस्ट)	

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों को जोखिम मूल्यांकन एवं इसके न्यूनीकरण के विषय में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, जिनकी समय-समय पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रबंधन द्वारा प्रभावी जोखिम नियंत्रण मानदंडों का प्रयोग किया जा रहा है।

बोर्ड द्वारा समय-समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है एवं साथ ही कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन के मामलों में सुधार लाने हेतु किए गए उपायों की समीक्षा की जाती है। कंपनी द्वारा व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई गयी है किसी भी स्तर के प्रत्येक कर्मचारी को बिना किसी परिणामी डर के उसके संज्ञान में आई किसी भी अस्वीकार्य/अनैतिक व्यवहार तथा / अथवा कदाचार की किसी भी घटना के विषय में सूचना देने हेतु सक्षम बनाती है,

पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी वैधानिक या नियामक प्राधिकरण द्वारा, भूमि के विभिन्न क़ानूनों से संबंधित किसी भी मामले पर निम्नलिखित के अतिरिक्त कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया:

1. स्टैम्प कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य ने यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ दिनांक 07 अप्रैल 2012 को निर्माण संविदा पर देय 7,20,500 रुपए के देय स्टैम्प शुल्क का भुगतान ना कर पाने के कारण दिनांक 06 जनवरी 2015 के पत्र के जिरये 4,46,710 (चार लाख छियालीस हज़ार सात सौ दस) रुपए का दंड लगाया गया।

#### **DISCLOSURE**

The Company has not entered into any material financial or commercial transactions with the Directors or the Management or their relatives or the companies and firms, etc., in which they are either directly or through their relatives interested as Directors and/ or Partners except transactions carried out in the ordinary course of business. One transaction made with the Shanti Seva Nidhi (SSN) (Trust) to sponsor seven students for Diploma in Mechanical Engineering course at a cost of ₹34.72 lakh was approved by the Board of Directors. On May 15, 2020 the Board adopted the revised policy on RPT under the nomenclature 'Policy on Related Party Transactions'. The Company has disclosed details of transactions with related parties as per the disclosure requirements of Indian Accounting Standard - 24 on Related Party disclosures and the exemption granted to the Government Companies.

There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested, except transactions carried out in the ordinary course of business as part of the CSR activity of the Company:

Name of the Activity	Name of the Firm	Interested Director
Sponsoring seven students for Diploma in Mechanical Engineering		Shri Sharad Kumar Saraf

The Company has laid down procedures to inform Board Members about the risk assessment and its minimization, which is periodically reviewed by the Risk Management Committee of the Board, to ensure that effective risk control is exercised by the Management.

The Board periodically reviews compliance report of all laws applicable to the Company as well as steps taken by the Company to rectify instances of non-compliances.

The Company has adopted a Whistle Blower Policy enabling each employee to feel safe in raising concerns about any unacceptable/unethical practice and/or any event of misconduct, at any level, that comes to his/her notice, without fear of consequences thereof.

No penalty was imposed on the Company, by any statutory or regulatory authority, on any matter related to various statutes of the land, during the last three years, except the following:

1. The Maharashtra Stamp Act, 1958: Stamp Office, Mumbai, Maharashtra State, vide its letter dated January 06, 2015, has imposed a penalty of ₹4,46,710, for non-payment of stamp duty of ₹7,20,500 payable on the construction contract agreement entered with the Project Contractor, Unity Infraprojects Limited on April 07, 2012.

However, the Company has represented its case on

# ई सी जी सी लिमिटेड

तथिप, दिनांक 22 जनवरी 2015 को उप महानिरीक्षक पंजीकरण के समक्ष कंपनी द्वारा दंड हटाने के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है एवं जल्दी फैसला प्राप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से लगातार संपर्क किया जा रहा है।

चूंकि आदेशों हेतु अपील मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण और पंजीकरण महानिरीक्षक (अपीलीय प्राधिकरण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे के पास लंबित है, आज की तारीख में संबन्धित मामले में किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952-ईसीजीसी द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- । द्वारा दिनांक 9 अगस्त 2016 के आदेश तथा दिनांक 18 नवंबर 2016 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सी एंड आर), मुंबई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आदेश के अनुपालन में सितंबर 2010 से जुलाई 2017 तक की अवधि के लिए अस्थायी कर्मचारियों का पीएफ अंशदान ईसीजीसी के कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट से ईपीएफओ हस्तांतरित किया गया (अगस्त 2017 से शुरू होने वाले अस्थायी कर्मचारियों के संबंध में ईपीएफओ का नियमित पीएफ योगदान) एवं यह अंशदान भविष्य निधि के दोनों भाग अर्थात नियोक्ता एवं सदस्य के अंशदान, अस्थायी कर्मचारियों की ओर से उनके कार्य आरंभ की तारीख से अगस्त, 2010 तक का योगदान है।

₹24,27,917 एवं ₹43,18,042 पर पीएफ अंशदान के लिए 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान पर धारा 14 बी के अधीन क्षित को पूरा करने हेतु सहायक पीएफ आयुक्त द्वारा, ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम की ईपीएफओ की धारा 7 क्यू के अधीन कंपनी को दिनांक 10 अप्रैल 2017 को एक समन जारी किया गया था। एपीएफसी, ईपीएफओ के समक्ष पिछली सुनवाई 07 जून, 2019 को आयोजित की गई थी जिसमें एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया । सुनवाई 07 जून, 2019 को समाप्त हुई एवं आदेश सुरक्षित हैं।

- 3. कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 ए पी एफ सी, ई पी एफ ओ द्वारा अधिनियम की धारा 14 बी के अधीन (एवं धारा 7क्यू के अधीन ब्याज के भुगतान हेतु आदेश) दिनांक 12 मार्च 2019 को निम्नलिखित अवधि के दौरान विलंब भुगतानों के संबंध में 3 नोटिस जारी किए गए (जिसमें दिनांक 10 अप्रैल 2017 का ब्याज दंड हेतु समन भी शामिल है) जो कि निम्न अविध के दौरान देरी से किए गए भुगतानों से संबन्धित थे:
- (i) जुलाई 1989 से फरवरी 1996 की अविध के लिए कुल राशि (क्षित एवं ब्याज सिहत) ₹1,94,395;
- (ii) मार्च 1996 से अगस्त 2010 : की अविध के लिए कुल राशि (क्षित एवं ब्याज सिहत) ₹1,32,20,020 एवं
- (iii) सितंबर 2010 से अगस्त 2016 : की अवधि के लिए कुल राशि (क्षित एवं ब्याज सहित) ₹81,69,947 ;

प्राप्त नोटिसों की कुल राशि ( क्षति एवं ब्याज सहित ) ₹2,15,84,362 रही;

ए पी एफ सी, ई पी एफ ओ के समक्ष अंतिम सुनवाई 07 जून, 2019

January 22, 2015 to the Deputy Inspector General of Registration for waiver of penalty and the matter is being continuously followed up with the respective authority for early decision.

As the appeal is pending for orders with the Chief Controlling Revenue Authority and Inspector General of Registration (Appellate Authority), Maharashtra State, Pune, as on date there is no further progress in the matter.

2. The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 - ECGC while executing the order dated August 09, 2016 issued by the Regional Provident Fund Commissioner-I and further order dated November 18, 2016 issued by the Regional PF Commissioner (C&R), Mumbai, Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) had transferred the PF Contribution in respect of casual workers from ECGC Employees' Provident Fund Trust to EPFO for the period from September 2010 to July 2017 (with regular PF Contribution with EPFO in respect of casual workers started from August 2017 onwards) and remitted both the shares of PF Contribution i.e. Employer and Member contribution on behalf of casual workers from the date of their respective engagements to August, 2010.

A summon dated April 10, 2017 was issued to the Company by the Asst. PF Commissioner, EPFO u/s 7Q under EPF & MP Act for payment of interest on PF Contribution for ₹24,27,917 and ₹43,18,042 being damages u/s 14B for damages for the period from 01/04/2016 to 31/03/2017. The last hearing before APFC, EPFO was conducted on June 07, 2019 in which a detailed submission was made. The hearing was concluded on June 07, 2019 and the orders are reserved.

- 3. Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976-APFC, EPFO has issued three notices dated March 12, 2019 (which also includes the interest and Penalty towards Summon dated April 10, 2017) u/s 14B of the Act (and order of payment of Interest u/s 7Q) for delay in remittances made during the following period were issued to the Company:
- (i) July 1989 to February 1996 Total Amount (including damages and interest) for the period is ₹1,94,395;
- (ii) March 1996 to August 2010 Total Amount (including damages and interest) for the period is ₹1,32,20,020; and
- (iii) September 2010 to August 2016 Total Amount (including damages and interest) for the period is ₹81,69,947.

Total amount (including damages and interest) of the notices received is ₹2,15,84,362.

The last hearing before the APFC, EPFO was conducted on June 07, 2019 in which a detailed submission was made. The hearing was concluded on June 07, 2019 and

को आयोजित की गई थी, जिसमें एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। आगे की सुनवाई 07 जून, 2019 को संपन्न हुई और आदेश सुरक्षित रखे गए।

#### लेखा परीक्षित लेखों को संसद के समक्ष प्रस्तृत करना

भारत सरकार की ओर से कंपनी के 100% इक्किटी शेयर भारत के राष्ट्रपति और सात अन्य नामित व्यक्तियों द्वारा धारण किए जाते हैं इस लिए इस संबंध में सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित लेखों को संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखा जाता है।

#### शेयरधारकों की जानकारी

- (क) वार्षिक साधारण बैठक: 63 वीं वार्षिक साधारण बैठक दि.18 नवंबर 2021 को 16.00 बजे आयोजित है।
- (ख) 31 मार्च 2021 को शेयर धारण का स्वरूप: कंपनी का पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। भारत के राष्ट्रपति 100 रुपए प्रति इक्टिी शेयर के हिसाब से 31,90,00,000 शेयर भारत सरकार की ओर से धारण करते हैं इनमें कंपनी के वह शेयर भी संयुक्त हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित आठ अन्य व्यक्तियों द्वारा धारण किए जाते हैं।
- (ग) पत्राचार का पताःश्रीमती स्मिता वी. पंडित, कंपनी सचिव, ईसीजीसी लिमिटेड एक्सप्रेस टावर, 10वीं मंज़िल, नरीमन पॉइंट, मुंबई -400021. Email: <u>cs@ecgc.in</u>.

#### संपर्क के माध्यम

- वेबसाइट: कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in "हमारे बारे में" खंड के अंतर्गत वित्तीय परिणाम पर एक सेक्शन है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर भी यूजर फक्रैंडली और डाउनलोड हो सके इस रूप मे उपलब्ध है।
- वित्तीय परिणाम: वार्षिक, अर्धवार्षिक और तिमाही परिणाम नियमित रूप से कंपनी की वेबसाइट <u>www.ecgc.in</u> पर पोस्ट किए जाते हैं।
- वार्षिक रिपोर्ट: वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ लेखा
  परीक्षित वार्षिक लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों
  की रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं, सदस्यों तथा अन्य
  अधिकारिता प्राप्त व्यक्तियों को संचारित कर दी गई हैं प्रबंधन
  परिचर्चा एवं विश्लेषण अनुलग्नक V में स्थापित निदेशकों की रिपोर्ट
  का एक भाग है

कृते निदेशक मण्डल

एम. सेंथिलनाथन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक डी आई एन 07376766

स्थान: मुंबई

दिनांक: 16 जुलाई 2021

the orders are reserved.

# PLACING OF AUDITED ACCOUNTS BEFORE THE PARLIAMENT

The audited accounts for the FY 2019-20 of the Company were tabled before both the Houses of Parliament on March 10, 2021, in compliance with the statutory requirements in that regard, as 100% Equity Shares are held by the President of India and seven other nominees, on behalf of the Government of India.

#### SHAREHOLDERS' INFORMATION

- (a) Annual General Meeting: The 63<sup>rd</sup> Annual General Meeting is scheduled to be held at 1600 hrs. on November 18, 2021 in New Delhi.
- (b) Shareholding Pattern as of March 31, 2021: The Company is fully owned by the Government of India. The President of India holds the entire lot of 31,90,00,000 Equity Shares of ₹100 each fully paid up, issued by the Company including eight of those shares which are held by the nominees of the President of India, on behalf of the Government of India.
- (c) Address for Correspondence: Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary, ECGC Limited, Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai 400021. Email: <a href="mailto:cs@ecgc.in">cs@ecgc.in</a>.

#### **MEANS OF COMMUNICATION**

- Website: The Company's website viz., <a href="www.ecgc.in">www.ecgc.in</a>
  contains a separate dedicated section on financial
  results under Section "About Us". The full Annual
  Report is also available on the website in user friendly
  and downloadable form.
- Financial Results: The annual, half-yearly and quarterly results are regularly posted by the Company on its website <a href="https://www.ecgc.in.">www.ecgc.in.</a>
- Annual Report: The Annual Report, containing, inter alia, Audited Annual Accounts, Directors' Report, Auditors' Report, and other important information, is circulated to the Members and others entitled thereto. The Management's Discussion and Analysis (MD&A) Report placed at Annexure V forms part of the Directors' Report.

For and on behalf of the Board of Directors

sd/-M. Senthilnathan Chairman-cum-Managing Director DIN 07376766

Place: Mumbai Date: July 16, 2021

# 63 वीं वार्षिक रिपोर्ट - 2020-2021

# ई सी जी सी लिमिटेड

#### घोषणा

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निदेशक मण्डल एवं वरिष्ठ प्रबंधन हेत् निर्धारित आचार संहिता का अनुपालन किया गया है।

कृते

एम. सेंथिलनाथन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक डी आई एन 07376766 **Declaration** 

The Members of the Board and Senior Management Personnel have affirmed compliance of the Code of Conduct for Board Members and Senior Management Personnel for the Financial Year ended on March 31, 2021.

> Sd/-M. Senthilnathan **Chairman-cum-Managing Director DIN 07376766**

Place: Mumbai Date: July 16, 2021

स्थान: मुंबई

दिनांक: 16 जुलाई 2021

# कंपनी शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रमाणपत्र

मै स्मिता वी पंडित एत्द्वारा प्रमाणित करती हूँ कि कंपनी ने सामान्य रूप से बीमा कंपनियों के लिए लागू तथा समय-समय पर संशोधित कंपनी शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है तथा कुछ भी छुपाया अथवा गुप्त नहीं रखा है।

> स्मिता वि. पंडित कंपनी सचिव

#### CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF THE **CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES**

I, Smita V. Pandit hereby certify that the Company has generally complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Company as amended from time-to-time and nothing has been concealed or suppressed.

> Sd/-Smita V. Pandit (Company Secretary)

Place: Mumbai Date: July 16, 2021

स्थान: मुंबई